भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

01.12.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 473 का उत्तर

आंदोलन के कारण हानि

473. श्री एस. आर. पार्थिबन:
श्री सु. थिरुनवुक्करासर:
श्री विजय कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत कुछ महीनों में किसानों और अन्य संगठनों द्वारा आंदोलन के कारण देश में कई रेल सेवाएं ठप्प पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण रेल को जोन-वार/ डिवीजन-वार हुई हानि का आकलित अनुमान क्या है;

(ग) फंसे हुए यात्रियों के टिकट रद्द करने/किराया वापस करने के लिए रेलवे द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे का कोविड-पूर्व की तरह नियमित रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

आंदोलन के कारण हानि के संबंध में 01.12.2021 को लोक सभा में श्री एस. आर. पार्थिबन, श्री सु. थिरुनवुक्करासर और श्री विजय कुमार के अतारांकित प्रश्न सं. 473 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'कानून व्यवस्था', राज्यों के विषय हैं और इस प्रकार, भारतीय रेल पर अपराधों का निवारण, पता लगाना, पंजीकरण और जांच तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिसे वह अपनी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों यथा, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस के माध्यम से निभाती है। बहरहाल, यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षा मुहैया कराने और उनसे जुड़े मुद्दों पर रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) जीआरपी/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है। चालू वर्ष अर्थात् 2021 (अक्टूबर तक) के दौरान रेलवे को हुई अनुमानित हानि के साथ-साथ किसानों और अन्य संगठनों द्वारा आंदोलनों के कारण बाधित गाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ग): अप्रत्यशित परिस्थितियों के कारण गाड़ियों को गंतव्य से पहले टर्मिनेट करने, मार्ग परिवर्तन, रद्दीकरण आदि के मामले में रेल यात्री (टिकटों का रद्दीकरण और किराए की वापसी) नियम, 2015 के अनुसार टिकटों का रद्दीकरण और किराए की वापसी की जाती है।

(घ) एवं (ङ): वर्किंग समय-सारिणी 2021 में शामिल सभी नियमित समय-सारणी वाली गाड़ियां जिन्हें मेल/एक्सप्रेस, कोविड स्पेशल (एमएसपीसी), हॉलीडे स्पेशल (एचएसपी) गाड़ी सेवाओं के रूप में परिचालित किया जा रहा था, को नियमित नम्बरों यथा लागू किराए और कोटिकरण के साथ बहाल कर दिया गया है। बहरहाल, ऐसी गाड़ियों की दूसरी श्रेणी विशेष मामले में अनुमत किसी छूट के सिवाय आरक्षित के रूप में चलाई जाती रहेंगी।

****

S.K

आंदोलन के कारण हानि के संबंध में 01.12.2021 को लोक सभा में श्री एस. आर. पार्थिबन, श्री सु. थिरुनवुक्करासर और श्री विजय कुमार के अतारांकित प्रश्न सं. 473 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

(क) और (ख): चालू वर्ष अर्थात् 2021 (अक्टूबर तक) के दौरान रेलवे को हुई अनुमानित हानि के साथ-साथ किसानों और अन्य संगठनों द्वारा आंदोलनों के कारण बाधित गाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जोनल रेलवे	आंदोलनों द्वारा ब्लॉक/बाधित गाड़ियों की संख्या	रेलवे को हुई अनुमानित हानि (रु. में)
मध्य	2	0
पूर्व	242	33400000
पूर्व मध्य	35	1511602
पूर्व तट	91	67891824
उत्तर	1212	225800000
उत्तर मध्य	8	937951
पूर्वोत्तर	4	1407217
पूर्वोत्तर सीमा	28	0
उत्तर पश्चिम	75	11044256
दक्षिण	14	8263
दक्षिण मध्य	3	0
दक्षिण पूर्व	125	26120609
दक्षिण पूर्व मध्य	13	579185
दक्षिण पश्चिम	0	0
पश्चिम	7	0
पश्चिम मध्य	20	0

******

S.K